राजस्थान नर्सिंग काउंसिल

बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्किम, जयपुर, राजस्थान फोन न. 0141-2222923, फेक्स न. 0141-2222099 वेबसाइट-www.rncjaipur.org

क्रमांक: आर.एन.सी./2017/2974 दिनांक: 11/10/17

समस्त निजी नर्सिंग संस्थान,
राजस्थान।

विषय:-दिनांक 22.09.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।
संदर्भ:-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3) विभाग के पत्रांक एफ 25(154)चिस्वा./ग्रुप-3/2009 दिनांक 09.10.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि नर्सिंग संस्थानों की एनओसी नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 22.09.2017 को आयोजित बैठक कार्यवाही(संलग्न) के निर्णयानुसार निजी नर्सिंग संस्थानों को सूचित किया जाता है कि जो संस्थाएं संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण के तहत आती हैं वे अपनी पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी एन.ओ.सी. के नवीनीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में दिनांक 18.10.2017 सायं 5:00 बजे तक व्यतिशः उपस्थित होकर के आवेदन जमा करा सकते है। इस समय सीमा के पश्चात इस प्रकार के प्रकरण पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

डाक, कोरिअर या इमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11/10/17

(गोविन्द प्रसाद शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल
जयपुर

बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 22.09.2017 को संयुक्त शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3)विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में प्रदेश के नर्सिंग संस्थानों की एन.ओ.सी. नवीनीकरण के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल भी उपस्थित थे। पूर्व में इसी कमेटी की मीटिंग दिनांक 26.11.2014 में यह निर्णय लिया गया था कि जिन संस्थानों को राज्य सरकार से एन.ओ.सी.प्राप्त किये 4 वर्ष से अधिक हो गये है उन्हे 1 वर्ष के लिये एन.ओ.सी. नवीनीकरण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जावें।

लम्बे समय से प्रदेश में नये संस्थानों को एन.ओ.सी. देने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा रखी है। रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल ने अवगत करवाया कि नवीनीकरण इसलिए उचित प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र में संचालित जी.एन.एम., बी.एस.सी.(नर्सिंग), पोस्ट बैसिक बी.एस.सी.(नर्सिंग), एम.एस.सी.(नर्सिंग), कॉलेजों में समस्त सीटे भर जाती है एवं समय-समय पर पडौसी राज्यों जैसे एम.पी., पंजाब, हरियाणा तथा कर्नाटक, जैसे राज्यों में भी राजस्थान के छात्र उपरोक्त कोर्स करने जाना पड़ता है। इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर से जी.एन.एम. प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2016-17 में निजी क्षेत्र में राजकीय कोटे से 3740 एवं फैडरेशन के द्वारा 3772 एवं राजकीय संस्थानों हेतु भी छात्र आंवटन किये गये थे।

जी.एन.एम. कोर्स हेतु निजी क्षेत्र में 7512 व सरकारी क्षेत्र में भी सीटे आंवटित थी। उनमें प्रथम व द्वितीय काउसन्लिंग में सीट आंवटन के पश्चात निजी क्षेत्र हेतु तृतीय काउसन्लिंग एवं उसके पश्चात खाली सीटों पर संस्थानों द्वारा स्वयं सीट भरने का प्रावधान है। इसके अलावा बी.एस.सी.(नर्सिंग), पोस्ट बैसिक बी.एस.सी.(नर्सिंग), एम.एस.सी.(नर्सिंग), की निजी क्षेत्र की लगभग समस्त सीट भी भर जाती है।

उक्त परिपेक्ष्य में निम्नाकित निर्णय लिये गये:-

1. बैठक के दौरान उन संस्थाओं पर विचार किया गया, जिनमे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ द्वारा जांच की गई थी तथा जांच के पश्चात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ ने जिन संस्थाओं को निर्दोष माना उन संस्थाओं की एन.ओ.सी.नवीनीकरण करने बाबत् निम्नलिखित निर्णय लिया गया, ऐसे संस्थाओं का 4 वर्ष से अधिक का समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ में जांच के चलते व्यतीत हुआ है जिसमे इन संस्थानों की गलती नही है। जिन प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ द्वारा संस्थानों को दोषमुक्त कर दिया है उन्हे नवीनीकरण का अवसर दिया जाना उचित है। एन.ओ.सी. नवीनीकरण के लिए इन संस्थाओं का पुनः निरीक्षण किया जावेगा तथा भष्टाचार निरोधक ब्यूरौ द्वारा लगाई गई अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर.) के बाद भी यदि निरीक्षण में कमी पाई जाती है तो एन.ओ.सी. नवीनीकरण नही किया जावेगा।
2. प्रदेश में कुछ नर्सिंग संस्थान ऐसी है जिनको दो या दो से अधिक वर्ष एन.ओ.सी. लिये हो चुके है, लेकिन किन्ही कारणवश ये संस्थान तय समय सीमा में भारतीय नर्सिंग परिषद की मान्यता नही ले पाये।
   यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि:-

   (अ) उक्त निर्णय तत्समय दिनांक 26.11.2014 की जानकारी पृथक से इन संस्थाओं को नही दी गई थी।

   (ब) इन संस्थाओं ने अपने आवेदन के समय यह भी व्यक्त किया है कि उपरोक्त निर्णय की जानकारी उन्हे नही थी, अन्यथा वह भी समय रहते इस निर्णय के तहत आवेदन कर देते।

   (स) वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त निजी नर्सिंग संस्थानों में संचालित विभिन्न नर्सिंग कोर्सेज की सीटे प्रति वर्ष पूर्ण रूप से भरी जा रही है।

अतः यह निर्णय लिया गया कि इन संस्थाओं की पूर्व में जारी एन.ओ.सी. नवीन(fresh) निरीक्षण के अधीन सही पाये जाने के उपरान्त ही एन.ओ.सी.का नवीनीकरण निम्न शर्तो के आधार पर किया जावेगाः–

1. संस्था का इस संबंध में कोई भी परिवाद माननीय न्यायालय में लम्बित नही होना चाहिए।
2. संस्था को भारतीय नर्सिंग परिषद के वर्तमान में स्थापित मापदण्ड पूर्ण करने होगे ।

उक्त निर्णय की सूचना राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की वैब साईट www.rncjaipur.org पर पोस्ट की जाये तथा सूचना पोस्ट होने के 7 दिवस में उपरोक्त निर्णयों के अनुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही अन्तिम एक बार ही विचार किया जावें।

(अजय असवाल)	(राकेश शर्मा)	(गोविन्द प्रसाद शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,	अतिरिक्त निदेशक(प्रशिक्षण)	रजिस्ट्रार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3)विभाग,	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल